न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 30/2020 (अपील)
जी.सी.एम.एस. नं. – 2020/00048

उनवान

लटूरलाल पुत्र कान्हा जाति कुम्हार निवासी ग्राम नोताडा तहसील दीगोद,जिला कोटा । ( अपीलान्ट)

बनाम

1– प्रभुलाल पुत्र कान्हा जाति कुम्हार निवासी ग्राम नोताडा तहसील दीगोद,जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

1/1– बृजमोहन आत्जज स्व0 प्रभुलाल जाति प्रजापत निवासी नोताडा,तहसील दीगोद।

1/2– कमलेश पुत्री स्व. प्रभुलाल पत्नि बाबूलाल निवासी ग्राम सीसवाली अन्ता रोड तहसील मांगरोल जिला बारां।

1/3– संजू पुत्री स्व. प्रभुलाल पत्नि रमेशचंद निवासी प्यारे राम जी के मंदिर के पीछे,ओढबस्ती मेला ग्राउण्ड बारां जिला बारां।

1/4– कस्तूरी बाई पत्नी स्व.प्रभुलाल जाति प्रजापत निवासी नोताडा तहसील दीगोद,जिला कोटा।

2– कैलाशबाई पुत्री स्व. कान्हा जाति कुम्हार

3– बादामबाई पुत्री स्व. कान्हा जाति कुम्हार

4– पानाबाई पुत्री स्व. कान्हा जाति कुम्हार

5– फूलाबाई पुत्री स्व. कान्हा जाति कुम्हार

6– गोपाल पुत्र रत्या जाति कुम्हार निवासी पेट्रोल पम्प के पास इटावा।

7– बाबूलाल पुत्र भेरिया जाति कुम्हार

8– प्रेमबाई पत्नी भेरिया जाति कुम्हार

9– सम्पत बाई पुत्री भेरिया पत्नी पांचूलाल जाति कुम्हार निवासी नोताडा तहसील दीगोद कोटा हाल निवासी ग्राम बनियानी तहसील कनवास।

10– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद।

(रेस्पोडेन्ट्स)

अति. जिला कलक्टर
कोटा

उपस्थित :— अभिभाषक श्री धनश्याम नागर (अपीलान्ट)
अभिभाषक श्री इलियास मो0गोरी (रेस्पोडेन्टस)

## अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व इंतकाल नं. 560 दिनांक 2.11.1977 न्यायालय तहसीलदार दीगोद

निर्णय दिनांकः— 2/4/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सही प्रकार से वारिसान की जॉच किये बिना ही एक पक्षीय रूप से आदेश जेर नामान्तकरण पारित करने में त्रुटि की है। विवादित आराजी के ख.न.पूर्व ख.न. 203 रकबा 3 बीधा 8 बिस्वा जिसके हाल ख.न. 99 व 101 वाके ग्राम नोताडा तहसील दीगोद में स्थित है। उक्त आराजी के पूर्व खातेदार कान्हा,रत्या,भेरिया,बदरया है। उक्त आराजी पेतृक सम्पति है। उक्त सहखातेदारान् में कान्हा व बदरया का स्वर्गवास होने के उपरान्त नामान्तकरण संख्या 560 खोला गया उसमें किसी प्रकार के वारिसान की जॉच किये बिना ही मृतक कान्हा के स्थान पर प्रभुलाल का नाम व बदरया के स्थान पर प्रभुलाल व रत्या भेरिया का नाम दर्ज खाता करने का आदेश एक पक्षीय रूप से प्रदान किया गया है। उक्त सहखातेदार कान्हा के वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट न.1 लटूरलाल 2— प्रभुलाल पुत्र कान्हा जाति कुम्हार निवासी ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला काटा, 3— कैलाशबाई पुत्री स्व. कान्हा जाति कुम्हार, 4— बादाम बाई पुत्री स्व.कान्हा जाति कुम्हार 5— पानाबाई पुत्री स्व.कान्हा जाति कुम्हार, 6—फूला बाई पुत्री स्व. कान्हा जाति कुम्हार निवासीगण नोताडा तहसील दीगोद,जिला कोटा है जो स्व.कान्हा के जायज वारिसान है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वारिसान के बारे मे पूर्ण तहकीकात करवाये बिना मात्र पटवारी हलका की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय जेर अपील प्रदान किया गया है। इसी प्रकार स्व.बदरया का फोती इंतकाल जो उक्त नामान्तकरण के साथ इकजाई नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उसमें भी मात्र स्व. कान्हा के वारिसान के नाम पर मात्र प्रभुलाल का नाम ही उक्त नामान्तकरण में अंकित किया गया है ओर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 5 उसके जायज वारिसान एवंम कायम मुकामान है।

उपरोक्त आराजी में स्व. कान्हा के स्थान पर अपीलान्ट व रेस्पो0 न.1 लगायत 5 का नाम दर्ज होना चाहिए था चूकि प्रभुलाल द्वारा अपना हिस्से की आराजी को बेंचान हंसराज पुत्र बजरंगलाल गूजर निवासी नोताडा तहसील दीगोद को किया जा चुका है इस कारण स्व. कान्हा की आराजी में उसका कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है तथा वर्तमान में उसका नाम राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। इसलिए उसका नाम राजस्व रेकार्ड से हटवाया जाना व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट न. 2 लगायत 5 का नाम स्व. कान्हा के स्थान पर बदरया के हिस्से कान्हा के हिस्से अनुसार दर्ज होना चाहिए। अपीलान्ट आज भी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है लेकिन रेस्पोडेन्ट न.1 नाम राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से दर्ज होने के कारण वह अपीलान्ट के कब्जे में दखलन्दाजी कर रहा है इसलिए उसका नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाना न्यायोचित है। आदेश जेर नामान्तकरण अपीलान्ट व रेस्पो0 न. 2 लगायत 5 को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका दिये बिना ही प्रदान किया गया है। अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की दिनांक 14.06.2020 को नकल प्राप्त करने पर हुई लेकिन उक्त अवधि में

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

कोराना काल होने से प्रार्थी अपीलान्ट समय पर अपील पेश नही कर सका बाद कोरोना उक्त अपील प्रस्तुत की गई है उक्त प्रकार कोराना दिवस की अवधि कन्डोन करने पर अवधि मध्य पेश है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जाकर नामान्तकरण सं 560 निरस्त किया जावे तथा उक्त नामान्तकरण पुनः सही वारिसान की जॉच कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् की तलबी जर्ये समन्न की गई। रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर वकील इलियास मो0गोरी व रेस्पो0 कम 6 की ओर से वकील दयाराम सेन का वकालतनामा पेश हुआ। रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 5 व रेस्पो. कम 7,8,9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

उक्त अपील वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.11.77 के विरूद्व दिनांक 18.11.2020 को प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। वकील अपीलान्ट द्वारा जैर अपील आदेश की जानकारी नकल प्राप्त करने के बाद विलम्ब का कारण कॉरोना काल होना जाहिर किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस पेश कर कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही जेर अपील आदेश पारित किया गया है। विवादित पैतृक सम्पति होने के कारण अपीलान्ट को आराजी में हक अधिकार बनता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इंतकाल संख्या 560 दिनांक 2.11.1977 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट न.2 लगायत 5 का नाम दर्ज होना चाहिए था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया है अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन अपीलान्ट द्वारा अन्य गांव में स्थित भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया है इसलिए उक्त विवादित आराजी में अपीलान्ट का नाम नही आया है। विवादित आराजीयात् की वर्तमान स्वरूप बदल चुका है। उक्त आराजी पर अन्य व्यक्ति काबिज है ऐसी स्थिति उक्त अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में विवादित आराजी को पेतृक सम्पति बताते हुए स्व. कान्हा के जायज वारिसान होने से विवादित आराजीयात् में अपना हक अधिकार होना जाहिर किया है। पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 560 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण में स्व.कान्हा के स्थान पर प्रभुलाल का नाम दर्ज करने तथा बदरया ला–आलोद फोत होने से बदरया के स्थान पर प्रभुलाल,रत्या भेरिया का नाम दर्ज होना अंकित किया है। प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट द्वारा स्व.कान्हा के वारिस के रूप में नगर पालिका सुल्तानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 6 बतोर वारिस दर्ज है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दोराने बहस यह कथन नही किया की अपीलान्ट कान्हा के वारिस नही है ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मत है कि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त सभी

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

तथ्यों को ध्यान में रखकर सभी आवश्यक् वारिसो की जॉच कर निर्णय पारित करना चाहिए। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 2.11.1977 अपास्त किया जाकर तहसीलदार दीगोद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित आराजीयात् से संबधित सभी पक्षकारान् को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए वारिसों की जॉच कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 2/4/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा
कोटा